रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 2006/श्रावण 2, 1928
No. 335] NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 2006/SRAVANA 2, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2006

सा.का.नि. 443(अ).—भारत सरकार ने दिनांक 16-8-2002 के मंत्रिमण्डल के पूर्व निर्णय की समीक्षा के पश्चात् शहरी विकास मंत्रालय के अधीन भारत सरकार मुद्रणालयों को बन्द/आमेलन/हस्तान्तरण/आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(क) निजीकरण

निम्नलिखित भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों का समुचित प्रचालन भूमि क्षेत्र के साथ इस शर्त पर निजीकरण किया जाएगा कि कर्मचारियों को जब तक उनकी शेष सेवा अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक सेवा में रखा जाएगा। यदि जरूरी हुआ तो मुद्रणालयों की अतिरिक्त भूमि को राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित किया जाएगा।

(1) भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय – चण्डीगढ़
(2) भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय – भुवनेश्वर
(3) भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय – मैसूर

(ख) आधुनिकीकरण

भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला को रखा जाएगा तथा उसे प्रोडक्शन-कम-ट्रेनिंग केन्द्र के रूप में तबदील किया जाएगा एवं रुपए 2.19 करोड़ की लागत से उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा।

(ग) हस्तान्तरण

भारत सरकार मुद्रणालय, गंगटोक को इसके वर्तमान दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के साथ पारस्परिक सहमत शर्तों एवं निबन्धनों के आधार पर सिक्किम की राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

(घ) रिटेन्सन (रखा जाना)

भारत सरकार फार्मभण्डार, कोलकाता तथा सहायक निदेशक का कार्यालय (बाह्य मुद्रण), कोलकाता को इस शर्त पर रखा जाएगा कि उनमें कोई भर्ती नहीं होगी।

(ङ) विशेष स्वेच्छा सेवानिवृत्ति स्कीम एवं स्थानान्तरण/रिडिप्लायमेंट

अतिरिक्त कर्मचारियों या जो कर्मचारी सेवा में नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित विकल्प दिया जाता है :—

(1) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28-2-2002 के का. ज्ञा. सं. 25013/6/2001-स्थापना(ए) के अनुसार अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए सरप्लस वायलेन्टरी सेवानिवृत्ति योजना ।

(2) अन्य नजदीकी भारत सरकार मुद्रणालयों में जहां सम्भव हो, स्थानान्तरण/रिडिप्लायमेंट ।

(च) अनुवर्ती कार्रवाई

(1) मुद्रण निदेशालय सभी भारत सरकार मुद्रणालयों के लिए सरप्लस वायलेन्टरी सेवानिवृत्ति स्कीम तत्काल परिचालित करेगा तथा कर्मचारियों से अन्य नजदीकी भारत सरकार मुद्रणालयों में स्थानान्तरण/रिडिप्लायमेंट के लिए विकल्प भी मांगेगा।

(2) मुद्रण निदेशालय भारत सरकार मुद्रणालय गंगटोक को पारस्परिक सहमत शर्तों एवं निबन्धनों के आधार पर सिक्किम की राज्य सरकार को हस्तान्तरण के लिए मामले को उठाएगा।

[सं. ओ-17034/2/(बी एण्ड एफ)/सी एम/स्थिति प्रतिवेदन]

एम. राजामनि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2006

G.S.R. 443(E).—The Government of India have taken the following decisions with regard to closure/merger/transfer/modernization of the Government of India Presses under the Ministry of Urban Development after review of the earlier Cabinet decision dated 16-8-2002 :—

A. PRIVATIZATION

The following Government of India Text Books Presses would be privatized along with reasonable operational land area with the condition that the employees will continue to be in service till completion of their balance service period. Excess land of the Presses would be developed, if necessary, in collaboration with the State Governments.

1. Government of India Text Books Press, Chandigarh
2. Government of India Text Books Press, Bhubaneshwar
3. Government of India Text Books Press, Mysore

B. MODERNIZATION

Government of India Press, Shimla would be retained and converted into production-cum-training centre and modernized at a cost of Rs. 2.19 crores.

C. TRANSFER

Government of India Press, Gangtok will be handed over to the State Government of Sikkim with its present liabilities and assets on mutually agreed terms and conditions.

D. RETENTION

Government of India Forms Store, Kolkata and Office of the Assistant Director (outside printing), Kolkata would be retained with the condition that no further recruitment will be made.

E. SPECIAL VOLUNTARY RETIREMENT SCHEME AND TRANSFER/REDEPLOYMENT

Surplus employee or employees not willing to continue in service will be given the following options :—

(i) Surplus Voluntary Retirement Scheme for surplus Central Government employees as per Department of Personnel & Training O.M. No. 25013/6/2001-Estt. (A) dated 28-2-2002.

(ii) Transfer/redeployment to other nearby Government of India Presses wherever possible.

F. FOLLOW UP ACTIONS

1. Directorate of Printing would immediately circulate Surplus Voluntary Retirement Scheme to all the Presses and also seeks options for transfer/redeployment of employees to other nearby Government of India Presses.

2. Directorate of Printing would immediately take up with State Government of Sikkim for the transfer of GIP, Gangtok on mutually agreed terms and conditions.

[No. O-17034/2/(B&F)/CM/Status Report]

M. RAJAMANI, Jt. Secy.